तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख इस हुक्म की तामील में जारी
10.3.23	पत्रावली आज पेश हुई। बार एशोसियेशन द्वारा रेफरेंस रखा गया है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइंदा 27.4.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	117 / 12/04/2023
21-4-23	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सुनवाई की अग्रिम कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय सिणेर पर आयोजित कैम्प दिनांक 6/5/23 में रखी गई हैं। अतः [illegible] तिथि से अपनी उपस्थिति कैम्प [illegible] पर सुनिश्चित करे। पत्रावली दिनांक 6/5/23 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित कैम्प मे पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)	
06-05-2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी तहसीलदार सिवाना उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.सं. 479 रकबा 7.1705 हैक्टेयर व खसरा सं. 480 रकबा 7.5246 हैक्टेयर ग्राम नाल तहसील सिवाना में ख.सं. 482 रकबा 3.2132 हैक्टेयर ग्राम अन्नपूर्णानगर तहसील सिवाना में एव ख.सं. 103 रकबा 1.3678 हैक्टेयर व ख.सं. 148 रकबा 5.8113 हैक्टेयर ग्राम [illegible] तहसील सिवाना में अवस्थित है। [illegible] पर प्रार्थी अपने वास्तविक हिस्सा [illegible] काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम भीखा पुत्र करताराम और जाति रावणा राजपूत है, किन्तु विवादित भूमि के कुछ रेकर्ड में 'भीखा पुत्र करता जाति दरोगा" कुछ रिकर्ड में 'भीखसिंह पुत्र करतार सिंह जाति दरोगा' तथा कुछ रिकार्ड में 'भीखा	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:56:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुत्र करता दरोगा' दर्ज कर दिया गया है। अतः रिकार्ड में एकरूपता बनाये रखने एवं प्रविष्टि सम्मानजनक दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी समस्त राजस्व रिकार्ड में 'भीखसिंह पुत्र करताराम कौम रावणाराजपूत' दर्ज करवाने का अधिकारी है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन एवं प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड में 'भीखाराम पुत्र करताराम', बैंक BCCB शाखा पारलू व SBI शाखा इन्द्राणा द्वारा जारी पासबुकों में 'भीखाराम पुत्र करता दरोगा', आधार कार्ड में 'भीखाराम पुत्र करताजी', मतदाता पहचानपत्र में 'भीखा पुत्र करता' तथा भामाशाह कार्ड व जनआधारकार्ड में 'भीखाराम' दर्ज है। इसी प्रकार विभिन्न खसरों की जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम कहीं 'भीखाराम' तो कहीं भीखसिंह और कहीं 'मीठा' दर्ज है। इस प्रकार किसी भी रिकार्ड में नाम की एकरूपता होना नहीं पाया जाता है। यद्यपि तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि के तमाम राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की प्रविष्टि 'भीखसिंह पुत्र करताराम कौम रावणा राजपूत' किये जाने की अनुशंसा की है, तथापि तमाम दस्तावेजी साक्ष्य में से किसी भी रिकार्ड में प्रार्थी की प्रविष्टि में [illegible] । इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने आवेदन के संलग्न [illegible] जमाबन्दियाँ प्रस्तुत की है, जो विवादित [illegible] नहीं है। लिहाजा प्रार्थी की प्रार्थना [illegible] साक्ष्य पुष्ट नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश स्वरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:56:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)